

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल मध्य प्रदेश
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in
क्रमांक BPLLP14102538931

प्रति,

(SURAJ PANDE PANDE)--1. PRIYANK UPADHYAY ,MAYANK UPADHYAY,S/O M.P. UPADHYAY 2.SEEMA UPADHYAY, W/O M.P. UPADHAYA 3. MEHTAB SINGH,VISHAL SINGH, S/O LATE.SHRI DEVI SINGH, THROUGH M/s DRAUPADI CONSTRUCTIONS
M-197 GAUTAM NAGAR CHETAK BRIDGE 462023

Bhopal,म.प्र.

विषय:- ग्राम-khajuri kalan तहसील-Huzur जिला-Bhopal स्थित खसरा क्रमांक498/1 (S), 515/1/1 (S) कुल रकबा 0.779 हेक्टेयर (7790.00 वर्गमीटर) में से 0.7440 हेक्टेयर पर PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा बावत।

परियोजना का नाम- “NANDI VILLAS PHASE 1“

संदर्भ- आपका आवेदन दिनांक 04/NOV/2025 एवं आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि ग्राम-khajuri kalan तहसील-Huzur जिला-Bhopal स्थित खसरा क्रमांक498/1 (S), 515/1/1 (S) कुल रकबा 0.779 हेक्टेयर (7790.00 वर्गमीटर) में से 0.7440 हेक्टेयर पर भूमि जिसका भूमि उपयोग Bhopal विकास योजना 2005 में “RESIDENTIAL.” निर्दिष्ट है। पर PLOTTED HOUSING विकास हेतु अनुज्ञा चाही गई है।

उक्त तारतम्य में आवेदक श्री/श्रीमति/मेसर्स (SURAJ PANDE PANDE)--1. PRIYANK UPADHYAY ,MAYANK UPADHYAY,S/O M.P. UPADHYAY 2.SEEMA UPADHYAY, W/O M.P. UPADHAYA 3. MEHTAB SINGH,VISHAL SINGH, S/O LATE.SHRI DEVI SINGH, THROUGH M/s DRAUPADI CONSTRUCTIONS द्वारा विकास हेतु अनुमति बावत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है। Bhopal विकास योजना 2005 की कंडिका में RESIDENTIAL भूमि उपयोग में PLOTTED HOUSING विकास स्वीकार्य गतिविधि है।

प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण दिनांक 21/NOV/2025 को आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि श्री (SURAJ PANDE PANDE)--1. PRIYANK UPADHYAY ,MAYANK UPADHYAY,S/O M.P. UPADHYAY 2.SEEMA UPADHYAY, W/O M.P. UPADHAYA 3. MEHTAB SINGH,VISHAL SINGH, S/O LATE.SHRI DEVI SINGH, THROUGH M/s DRAUPADI CONSTRUCTIONS की उपस्थिति में उनके द्वारा बतलाई गई सीमा के अनुसार किया गया है, भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः RESIDENTIAL भूमि उपयोग में PLOTTED HOUSING विकास हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 (1) के प्रावधानों अनुसार अनुज्ञा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जा रही है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:
 - (1) राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)।
 - (2) मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959
 - (3) मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956
 - (4) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल
 - (5) म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021.
 - (6) अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - (7) संस्था एवं नगर पालिक निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
 - (8) आवासीय भूखंडीय विकास पर भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4 स 2 के प्रावधान मान्य होंगे।
 - (9) प्रस्तावित भूखण्डीय आवासीय अभिन्यास में कुल सामान्य श्रेणी के 48 आवासीय भूखण्ड का प्रावधान किया गया है। निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के लिए म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 2021 के नियम 10 के अनुसार उल्लेखित प्रावधानानुसार एल.आई.जी. हेतु 41से96 वर्गमीटर की 03 आवासीय भूखण्ड एवं ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 30से40 वर्गमीटर की 04 आवासीय भूखण्ड का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। कालोनाईजर नियम 2021 के

Signature valid
Digitally Signed by Sunita
Singh
Date: 12/Dec/2025

- परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार किए गए प्रावधान को स्वीकृत करने का अधिकार कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 2021 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम अधिकारी द्वारा विकास अनुमति प्रदान करने से पूर्व यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वही मान्य होगा।
2. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिपेक्ष्य में आवेदन हेतु शुल्क रुपये 5000.00/ रसीद क्रमांक 25110413070946874623 दिनांक 04/NOV/2025 एवं विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 56000.00 / रसीद क्रमांक 25121151163171625380 दिनांक 11/DEC/2025 द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अधधीन है। यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
3. प्रश्नाधीन स्थल यदि किसी नाले/नदी से लगे होने की स्थिति में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) अनुसार जल स्रोत/जल निकाय के उच्चतम स्तर से 9.00 मीटर एवं नदी के मामले में उच्चतम जल स्तर से 15.00 मीटर भूमि खुले के रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
4. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार एक वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर के मान से स्थल पर वृक्षारोपण करना होगा। विद्यमान वृक्षों को यथासम्भव यथावत रखना होगा।
5. आवेदक द्वारा विकास अनुज्ञा में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर संशोधित मानचित्र अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
6. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी। उक्त समयावधि में संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। समयावधि समाप्त होने के पूर्व यदि विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है, आवेदक/संस्था द्वारा आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एकएक वर्ष) के लिये बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7. मोप्रो भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल संवर्धन प्रणाली हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अनुमोदित मानचित्र अनुसार स्थानीय संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्था के द्वारा दिया जा सकेगा।
8. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 32 के प्रावधानों का आवेदक को पालन करना होगा साथ ही स्थल पर अनुमोदित स्थल मानचित्र संबंधी जानकारी 5 X 4 फुट साईज के बोर्ड पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. अभिन्यास मानचित्र में निर्धारित भूखण्डों के प्रयोजन आवेदक स्वयं के प्रेरणा से परिवर्तित नहीं कर सकता तथा भूखण्डों का संविलियन अथवा विभाजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से स्वयं के प्रेरणा से नहीं कर सकता ऐसा किया गया कृत्य नियम विरुद्ध माना जाकर अभिन्यास मानचित्र को प्रभाव शून्य कर दिया जायेगा।
10. मोप्रो भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदकगण/भूमि स्वामी नियमों में उल्लेखित निर्दिष्ट कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वाहन किया जाना अनिवार्य है, प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को स्थल पर विकास अनुमति के पश्चात् किये जा रहे विकास कार्य की प्रत्येक स्तर की सूचना सक्षम प्राधिकारी (भवन अधिकारी) को प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा तथा भवन अधिकारी के द्वारा दी गई सूचना का स्थल पर सत्यापन प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। सत्यापन के दौरान यदि आवेदक द्वारा दी गई अनुज्ञा का विचलन पाये जाने पर तत्काल विकास/निर्माण पर रोक लगाते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी साथ ही आवेदक द्वारा समस्त विभागों से प्राप्त की गई अनुमति/अनापत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखण्डों, खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावे।
12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा अक्स/बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जवाबदारी आवेदक की होगी।
13. इस अभिलेख को भूस्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
14. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन भूमि स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीबाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
15. यह अनुज्ञा जी.आई. एस . (Geo Coordinates System (GCS) system WGS84) का उपयोग कर जारी की जा रही है। विकास योजना में दर्शित भूमि उपयोग WGS84 पर अंकित किये गए हैं , जिस पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूस्वामित्व दस्तावेज (खसरा मानचित्र) के Geo Coordinates भी दिए गए हैं। जारी की जा रही नियोजन अनुज्ञा में दर्शित सीमाओं के Geo Coordinates परिवर्तित होने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन संभावित है। खसरा मानचित्र के Geo Coordinates परिवर्तित होने पर यदि कोई भूमि उपयोग परिवर्तित होता है तो जारी की गई अनुज्ञा को कार्यालय से संशोधित कराना होगा अन्यथा जारी की गई नियोजन अनुज्ञा प्रभाव शून्य हो जावेगी।
16. भूमि की सीमाएं राजस्व विभाग के द्वारा सत्यापन की गई ही मान्य होगी, तथा भूमि की वैधानिकता के संबंध में किसी भी प्रकार से भूमि स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पायी पर अथवा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा मोप्रो भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्वोक) की जा सकेगी।
17. आवेदक/कन्सल्टेंट द्वारा प्रस्तुत Annueuxure मूलतः अनुमति के साथ संलग्न किया गया है। Annueuxure में दर्शित के अनुसार नियोजन मापदंड उल्लेखित किए गए हैं, नगर निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम के अंतर्गत मानचित्र का स्थल पर सीमांकन करने के पश्चात यदि कालोनी की बाह्य सीमा के भूखंडों की मैप में कोई अंतर आता है। तो उन के माप वही मान्य होंगे जो स्थल अनुसार उपलब्ध है। भूखंडों के माप के अंतर आने पर कार्यालय

को सूचना देना होगा। सीमा के भूखंडों के माप के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(3) में ही संशोधन हो सकेगा।

18. यह अनुमति आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भूस्वामी वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति की शर्तों में उल्लेख है।

19.) भूस्वामित्व के संबंध में वादविवाद, न्यायालय संबंधी वाद की स्थिति में अथवा आवेदन के साथ दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर अथवा उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा जिसकी जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

20. परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।

21. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक BPLLP14102538931/ दिनांक / 11/DEC/2025

प्रतिलिपि:-

1. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, Bhopal को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला Bhopal को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील Huzur (संबंधित वृत्त), जिला Bhopal की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में “नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का लेआउट स्वीकृत हो गया है: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला Bhopal। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल एकल खिडकी प्रणाली नगर पालिक निगम Bhopal इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.



Annexure - 1

Application No.	BPLLP14102538931
-----------------	------------------

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
1	98.53	6.1 x 16.7	3.0	1.5	0.0	0.0
2	91.34	6.1 x 15.6	3.0	1.5	0.0	0.0
3	84.15	6.1 x 14.4	3.0	1.5	0.0	0.0
4	76.96	6.1 x 13.2	3.0	1.5	0.0	0.0
5	68.84	6.1 x 12.0	3.0	1.5	0.0	0.0
6	76.42	6.2 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
7	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
8	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
9	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
10	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
11	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
12	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
13	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
14	74.42	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
15	78.20	6.5 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
16	115.33	6.1 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
17	118.11	6.1 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
18	118.11	7.8 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
19	122.25	8.0 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
20	98.51	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
21	96.29	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
22	97.26	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
23	96.77	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
24	92.98	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
25	102.78	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
26	99.04	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
27	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
28	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
29	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
30	98.30	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
31	105.79	6.5 x 16.7	3.0	1.5	0.0	0.0
32	108.06	6.5 x 17.1	3.0	1.5	0.0	0.0
33	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
34	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
35	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
36	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
37	99.06	6.5 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
38	96.77	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
39	96.77	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
40	96.77	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0

Signature valid

Digitally Signed by Sunita Singh
Date: 12/Dec/2025

* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant



Annexure - 1

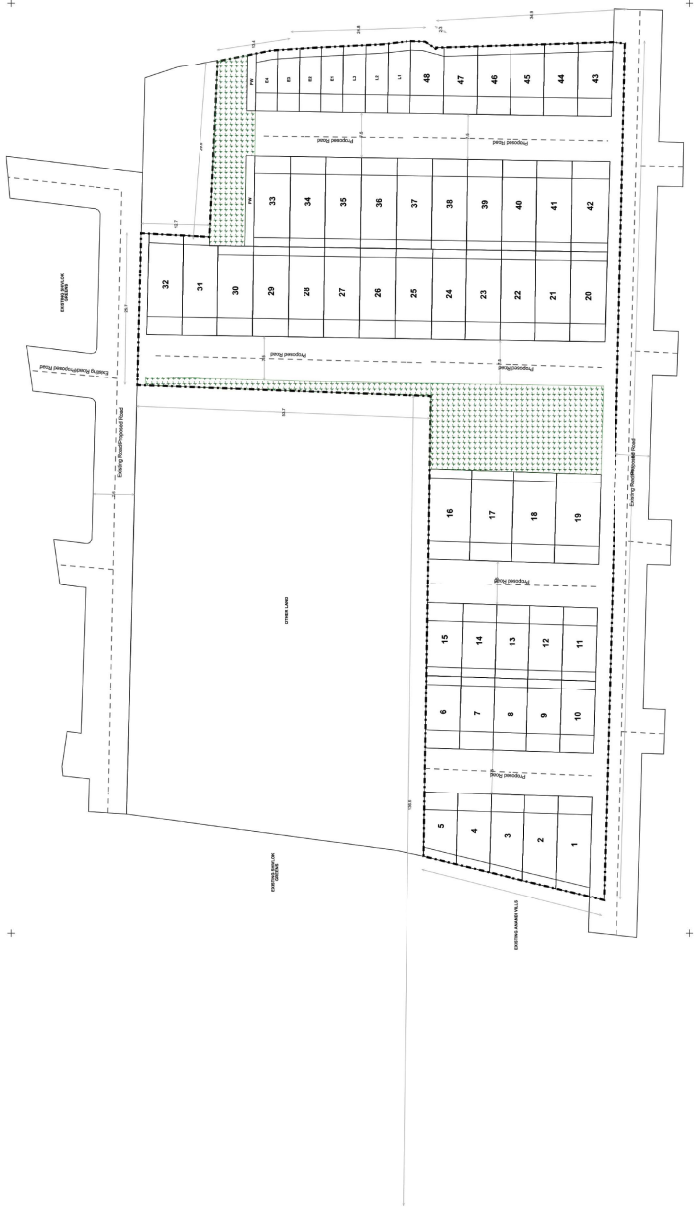
Application No.	BPLLP14102538931
-----------------	------------------

SCHEDULE OF PLOTS

Plot No.	Plot Area (Square Meter)	Average Plot Dimension(Meter)	MOS (Meter)			
			Front	Rear	Side 1	Side 2
41	96.77	6.4 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
42	101.97	6.8 x 15.2	3.0	1.5	0.0	0.0
43	77.47	6.1 x 12.3	3.0	1.5	0.0	0.0
44	74.67	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
45	73.06	6.1 x 12.2	3.0	1.5	0.0	0.0
46	71.45	6.1 x 11.9	3.0	1.5	0.0	0.0
47	69.84	6.1 x 11.6	3.0	1.5	0.0	0.0
48	72.06	6.1 x 12.3	3.0	1.5	0.0	0.0
E1	44.47	4.0 x 11.2	3.0	1.5	0.0	0.0
E2	43.51	4.0 x 10.7	3.0	1.5	0.0	0.0
E3	42.36	4.0 x 10.4	3.0	1.5	0.0	0.0
E4	39.79	3.9 x 9.8	3.0	1.5	0.0	0.0
L1	49.44	4.1 x 11.8	3.0	1.5	0.0	0.0
L2	47.62	4.1 x 11.5	3.0	1.5	0.0	0.0
L3	46.58	4.1 x 11.2	3.0	1.5	0.0	0.0

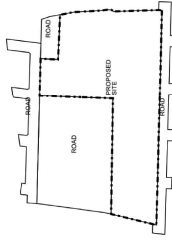
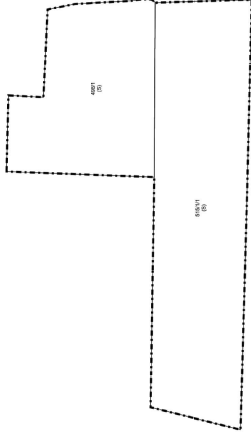
* Average length and width mentioned above are shown as entered by Applicant/Consultant

Signature valid
Digitally Signed by Sunita
Singh
Date: 12/Dec/2025



Khasra/Nazul Plot Plan

Location Plan



Legend:

- Area Applied
- Road Widening
- Plot Area
- Community Open Space
- Service Area



Abbreviation:
PW - Pathway

Authorised Signatory

Project Client/Owner

Consultant / Architect

Date

NANDI VILLAS
PHASE 1

(SURAJ PANDIT PANDIT-1, PRIYANK UPADHYAY, MAYANK UPADHYAY, SIO M.P. UPADHYAY, 2, SEEMA UPADHYAY, W/O M.P. UPADHYAY, 3, MEHTAB SINGH, VISHAL SINGH, S/O LATE, SHRI DEV SINGH, THROUGH M/S DRAUPADI CONSTRUCTIONS

NIRAJ PAHADE
14/OCT/2025

PROJECT NAME: NANDI VILLAS PHASE 1
PROPOSED LAYOUT PLAN FOR THE DEVELOPMENT
OF PLOTTED HOUSING
at Village - Khajuri kalan , Tehsil - Huzur , District -
Bhopal

Area Statement of Plotted Development for
PLOTTED HOUSING

S.No.	Description	Area	Unit	%
1	Area Applied for Permission	7439.96	Sqm.	
2	Area Under Road Widening	0.00	Sqm.	
3	Area Under Masterplan Road	0.00	Sqm.	
4	Not Included In Planning Area	0.00	Sqm.	
5	Net Scheme Area	7439.96	Sqm.	
6	Area Under Plots	4359.46	Sqm.	58.595
7	Area Under Convenience Shop	0.0	Sqm.	0.00
8	Informal Sector	313.77	Sqm.	4.22
9	Community Open Space	744.79	Sqm.	10.011
10	Service Area	0	Sqm.	0
11	Area Under Road Circulation	1982.45	Sqm.	26.646
12	Pathway	39.49	Sqm.	0.531

Area Statement for Informal Sector

S.No.	Description	Unit
1	Total No. of Saleable Residential Plots/DUs	48
2	Req EWS & LG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/D.U	Nos
3	Req EWS Units/Plots As Per 60% of Above s.no.2	Nos
4	Req LG Units/Plots AS Per 40% of above s.no.2	Nos
5	Proposed EWS & LG Units/Plots As Per 15% of Total Plots/D.U	Nos
6	Proposed EWS Units/Plots As Per 60% of Above s.no.5	Nos
7	Proposed LG Units/Plots As Per 40% of above s.no.5	Nos
8	Min Area of EWS Plot/Unit	Nos
9	Min Area of LG Plot/Unit	Nos

Details of Ownership

S.no.	Khasra/Nazul Plot No.	Total Area (Ha.)
1	515/1/1 (S) 498/1 (S) (Tehsil:Huzur, Village:Khajuri kalan)	0.779



Application Number - BPLLP14102538931
Please refer Annexure-1 for details of individual plots